न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/78/2019

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री शुभराम पुत्र रामचन्द्र, ग्राम व पोस्ट—कारोडा, तहसील—बहरोड, जिला—अलवर—301020		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि 21.08.2019

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 25.09.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन—पत्र दिनांकः 17.07.2019 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में कार्यरत रहे कार्मिक श्री जसवन्त यादव, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध उनके कार्यकाल के दौरान प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही व उनके द्वारा उपखण्ड कार्यालय बहरोड में भरकर प्रस्तुत जी.ए.83 (आयकर विवरण—पत्र) की प्रमाणित प्रति कुल 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक को उक्त वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण इस न्यायालय को प्रार्थना—पत्र दिनांकः 19.08.19 के माध्यम से प्रथम अपील प्राप्त हुई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः लोक सूचना/2019/1222—23 दिनांकः 26.08.19 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 17.07.19 के बिन्दु सं.2 के परिप्रेक्ष्य में पत्रांकः लोक सूचना/2019/1179 दिनांकः 22.08.19 के माध्यम से इस आशय का विनिश्चय कर आवेदक को सूचित किया कि ''संबंधित कार्मिक श्री जसवन्त यादव, कनिष्ठ सहायक, नि. जागुवास रोड, बहरोड से प्रकरण में पत्रांकः 1156—56 दिनांकः 19.08.19 के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी लेने पर संबंधित कार्मिक द्वारा वांछित सूचना निजी जानकारी होने के कारण प्रार्थी को नहीं दिये जाने बाबत अवगत कराया गया है। सूचना लेने वाला इसका दुरूपयोग कर सकता है। सूचना दिया जाना संभव नहीं है।'' P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

(2)

9. माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपील प्रकरण संख्या CIC/AT/A/2008/00299 Dated: 15-07-2008 ब.उ. के.एस.बेदी बनाम आयकर विभाग व अपील प्रकरण संख्या CIC/AT/A/2008/00296 Dated: 16-07-2008 ब.उ. रमेश सीताराम माली बनाम आयकर विभाग में निर्णय पारित कर माना है कि ''आयकर संबंधी जानकारियाँ सामान्यतः गोपनीय रखे जाने योग्य हैं और अधिकार स्वरूप ऐसी जानकारी न तो प्राप्त की जा सकती हैं और न ही विधिक दायित्व के अधीन ऐसी जानकारियाँ लोक प्राधिकारी द्वारा प्रकट की जायेंगी। आयकर विवरण एवं उससे संबंधित समस्त विस्तृत जानकारियाँ दी जाना अधिनियम की धारा 8(1)(d)(e)(j) के अधीन वर्जित किया गया है।''
10. उक्त आलोक में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 17.07.19 के बिन्दु सं. 2 पर प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय दिनांकः 22.08.19 उचित है। उक्त के अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन दिनांकः 17.07.19 के बिन्दु सं.1 के परिप्रेक्ष्य में उनके कार्यालय को संबंधित कार्मिक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के संबंध में किसी प्रकार का विनिश्चय कर आवेदक को सूचित नहीं किया है।
11. अतः प्राप्त प्रथम अपील, आवेदन दिनांकः 17.07.19 के बिन्दु सं.1 के परिप्रेक्ष्य में आंशिक स्वीकार की जाती है एवं बिन्दु सं. 2 के क्रम में अस्वीकार की जाती है।
12. प्रत्यर्थी विभाग को इसके माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आवेदन दिनांकः 17.07.19 के बिन्दु सं.1 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के आलोक में विधिक विनिश्चय कर वांछित सूचना निःशुल्क ही पंजीकृत–पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को उक्त आदशे प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
13. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
14. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)